

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी**  
**पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर**

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	02/23	2023/21	16.06.2023	सरकार बनाम मोहित कुमार सिंघल	07.04.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :- सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 02/2023 (2023/21)

**उनवान प्रकरण**

- वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ।  
- आवेदक

बनाम

- श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र गुप्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बुलबुल जनरल स्टोर ,चूली गेट, गंगापुर सिटी , सवाई माधोपुर।  
अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 07.04.2026

प्रकरण में तथ्या इस प्रकार है कि यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 10.12.2022 को दोपहर 01.00 पी.एम पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु पिस्ता कटिंग एक लोहे की परत में रखे थे। उक्त पिस्ता कटिंग में **Artificial Colour/Synthetic colour/Food Colour** की मिलावट एवं पिस्ता की जगह मूंगफली होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 1 किलो पिस्ता कटिंग खरीदकर उसकी कीमत 500/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रामबाबू शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो पिस्ता कटिंग को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पिस्ता कटिंग को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच -2530 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच -2530 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जापों में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मोहित कुमार सिंघल



पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री मोहित कुमार सिंघल पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फॉर्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ: की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/15 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3492/एक्ट/2022/3519 दिनांक 16.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पिस्ता कटिंग Sub-Standard प्रकृति का होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड पिस्ता कटिंग का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(पप) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पिस्ता कटिंग विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस//3492/एक्ट/2022/3519 दिनांक 16.12.2022 निम्नानुसार है:-

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

Government of Rajasthan  
**STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)**  
Mundlr Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B  
Test Report of the Food Analyst  
[Refer Regulation (2) of 2.3.]

Date: 16-12-2022

Report No. L.S. / 3492 / Act / 2022 / 357

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawaimadhopur a sample of "Pista Cutting (Loose)" bearing Code number and Serial number H-2530 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawaimadhopur area on 12-12-2022 for analysis

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:  
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Fruit & Vegetable Products (Nuts and Raisins)" falling under Regulation No. 2.3.47(5) of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 13-12-2022 to 16-12-2022 and the results of its analysis is given below.

**Analysis Report:-**

- (1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.
- (2) Physical appearance : - Green coloured Pista cutting having rancid smell.
- (3) Label: - Loose sample.

S. No	Quality Characteristics.	Name of Method of test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Acidity of extracted fat expressed as Oleic Acid.	FSSAI Manual of method of analysis of food	22.88%	Not more than 1.25%.
2.	Mould, living/dead insects and rodent contamination.	-----do-----	Absent.	Absent.
3.	Added synthetic colouring matter.	-----do-----	Water soluble synthetic colour BrilliantBlue FCF and Tartrazine.	Absent.

**Opinion-**The sample of "Pista Cutting" bearing Code No. and Sr. No. H-2530 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawaimadhopur is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 16<sup>th</sup> day of December 2022

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM  
Chief Medical & Health Officer, Sawaimadhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY  
Commissionerate of Food Safety and Drug Control  
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

**Pratibha Meena**  
Food Analyst  
(Authorized Signatory)

**PRATIBHA MEENA**  
FOOD ANALYST, RAJASTHAN  
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY  
JAIPUR, RAJASTHAN

अभिहित अधिकारी (साथ सुरक्षा)  
एवं  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजसंघ साधुपुर

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पिस्ता कटिंग सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ पिस्ता कंटिंग सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 50,000 रुपये (अक्षरे-पचास हजार रुपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210-04-800-03-00-25% STATE SHARE WHICH RECEIVED AGAINST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं० 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापूर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापूर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापूर सिटी  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापूर सिटी